

मूल चाच में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

रनवान

जयपुरा पुत्र इन्द्राज जात्रि नाम शैलमा पुत्री इन्द्राज जात्रि जाट

जाट निवासी भुन्सरी खादि निवासी भुन्सरी खादि

दावा बाबत :- 88-89 RAAS

मुकदमा नम्बर :- 34/2018

भरण दिनांक :- 15-12-21


वादी की ओर से वकील मानुप्रताप वैनीवाल की व प्रतिवादी सं० की ओर से वकील भुन्सरीम जोष्यागी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-12-21 को

मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

भुनासिद्ध राजीनामा वर्णित वाद भूमि में बाधो पत्नी इन्द्राज वतवीर - भूपसिंह - भुन्सरीम पि० इन्द्राजसिंह का नाम उल्लेखित किया जाकर रौही मौजा ज० 12 म० 38 के खता म० पत्रिया डी कुल 9.807 है० में स्थित 16.5 हिस्सा वाद भूमि में वादी म० 01 व 02 मजूमर रूप से 66 हिस्सा वरिष्ठा बराबर, वादीगण म० 37 व 6 मजूमर रूप से 33 हिस्सा, वादीगण म० 7 व 8 मजूमर रूप से 33 हिस्सा वादीगण म० 9 व 10 मजूमर रूप से 33 हिस्सा रौही पट्टार रौही मौजा 12 म० 38 के खता म० 80/78 में स्थित 14.421 है० में दर्ज 11/26 में वादीगण म० 1-2 मजूमर रूप से 2.440 है० वरिष्ठा बराबर, वादीगण म० 37 व 6 मजूमर रूप से 1.220 है० वादीगण म० 7 व 8 मजूमर रूप से 1.220 है० वादीगण म० 9 व 10 मजूमर रूप से 1.220 है० रौही पट्टार 6 पत्रिया के खता म० 30/30 डी कुल 2.783 है० में स्थित 11/26 हिस्सा में वादीगण म० 1-2 मजूमर रूप से 0.470 है० वादीगण 37 व 6 मजूमर रूप से 0.235 है० वादीगण म० 7 व 8 मजूमर रूप से 0.235 है० वादीगण म० 9-10 मजूमर रूप से 0.235 है० तथा रौही भुन्सरी बागनी के खता म० 132/125 में स्थित 5.337 है०

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 15-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

2

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

~~जगदण्ड झा~~

बनाम

~~रामा झा~~

दावा बाबत :-

88-83 RTI Act

मुकदमा नम्बर :-

54/2018

निर्णय दिनांक :-

15-12-24

वादी की ओर से वकील..... की व प्रतिवादी को..... की ओर

से वकील..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख..... को

मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर

आदेश दिया जाता है कि

कुल 5.33 है० के 11/13 हिस्सा में वादीगण 1-2

संपुत्र रूप से 1.800 है० वादीगण स० 3 रा 6 संपुत्र रूप से 0.903 है०

वादीगण स० 7 व 8 संपुत्र रूप से 0.903 है० वादीगण स० 9-10

संपुत्र रूप से 0.903 है० के अनुसार हवातेदार उरहदार घोषित

डिया जाता है। यदि प्रतिवादीगण स० 1 रा 5 ने अपना हक

हिस्सा वादीगण के पक्ष में लपटा कर शुल्क उर विष्णु है। हमकिर

लपटा डिये गये हिस्से पर निपमानुसार पंजीपत्र शुल्क अदा

करने व यदि भूमि बेड रस्त है तो रस्त, मुम्त होने व

उपरोक्ता नुसार राजस्व रिडॉरि में दर्ज कर रिडॉरि उरुम्त

डिया जायें। जमीदावा में डीरी का भाग पगजाये।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 15/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़